राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन जयपुर

क्रमांक / एफ.वी121(1)स.नि.प्रजनन / उष्ट्र मोने. / 2016–17 / 1773 दिनांकः– 11/8/17

आदेश

इस विभाग के समसख्यंक आदेश क्रमांक 1778–90 दिनांक 09.9.2016 एवं 1735–80 दिनांक 15.02.2017 के क्रम में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत उष्ट्र विकास योजना की क्रियान्विति एवं उष्ट्र पालकों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश एतद् द्वारा जारी किये जाते है :–

1. ऊष्ट्र के पैदा होने वाले बच्चे हेतु ऊँट पालक द्वारा संस्था को दी जाने वाली सूचना की अवधि को एक माह में दिये जाने के स्थान पर दो माह की अवधि तक किया जाता है।
2. निष्क्रमण पर रहने वाले ऊँटों के मामले में सूचना देने की अवधि को निष्क्रमण से लौटने तक बढाया जाता है। योजना का लाभ लेने हेतु ऊँट पालक को निष्क्रमण से पूर्व नजदीकी पशुचिकित्सालय में उष्ट्र का पंजीकरण व टेगिंग करवाकर उष्ट्र निष्क्रमण प्रारूप संस्था में भरकर देना होगा, जिसकी एक प्रति उष्ट्र पालक के पास रहेगी । उक्त प्रति निष्क्रमण से लौटने पर वत्स उत्पादन होने की स्थिति में उसी पशुचिकित्सालय में प्रस्तुत करनी होगी।
3. जिला संयुक्त निदेशकों द्वारा उष्ट्र पालकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान सम्बन्धित पशु चिकित्सा प्रभारी तथा नोडल अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणीकरण किये जाने के स्थान पर सम्बन्धित वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी / पशु चिकित्सा अधिकारी (निकटतम प्रभारी, पशु चिकित्सालय) के प्रमाणीकरण के आधार पर किया जा सकेगा।
4. ऊँट पालक को सहायता राशि का भुगतान योजना के भामाशाह प्लेटफार्म पर आने के पश्चात् इसी माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य होगा।

(रामजीलाल मीणा)
शासन उप सचिव

क्रमांक / एफ.वी121(1)स.नि.प्रजनन / उष्ट्र मोने. / 2016–17 / 1774–1820 दिनांकः– 11-8-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् समुचित कार्यवाही हेतुः

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, कृषि एवम् पशु पालन विभाग, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सहकारिता एवं गोपालन विभाग, राजस्थान।
3. निजि सचिव, माननीय राज्य मंत्री गोपालन विभाग, राजस्थान।
4. निजि सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
6. मुख्य लेखाधिकारी, पशुपालन विभाग राजस्थान–जयपुर।
7. समस्त अति. निदेशक / संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

(रामजीलाल मीणा)
शासन उप सचिव

G/camel / 19